



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06072021-228126
CG-DL-E-06072021-228126

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2506]
No. 2506]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 6, 2021/आषाढ़ 15, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, JULY 6, 2021/ASHADHA 15, 1943

संस्कृति मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 2021

का.आ. 2707(अ).—कलाक्षेत्र प्रतिष्ठान अधिनियम, 1993 की धारा-11 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा दिनांक 5 अप्रैल, 2021, की सं. का.आ. 1939 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, नामतः—

उक्त अधिसूचना में, “धारा 11 (ख) के तहत नामित सदस्य: “शीर्षक के अनुच्छेद 1 में”

i. पद्धक्रमांक ट और उससे संबंधित प्रविष्टि के लिए, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः—

“V. श्री.पी.टी. नरेंद्रन”

2. इस अधिसूचना के अनुच्छेद 1 के तहत नामित सदस्य का कार्यकाल उस सदस्य की शेष बचे हुए कार्यकाल की अवधि तक रहेगा, जिनके स्थान पर उनको नामित किया गया है।

[फा. सं. 21/18/2020-अकादेमी]

लिली पाण्डेय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CULTURE**NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th July, 2021

S.O. 2707(E).—In exercise of the powers conferred by Section 11 of the Kalakshetra Foundation Act, 1993, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Culture published in the Gazette of India vide No. S.O. 1939(E). dated 5th April, 2021, namely:-

In the said notification, in paragraph 1, below the heading “Members Nominated Under Section 11 (b):”

(i) for serial number V and the entry relating thereto, the following serial number and entry shall be substituted, namely :-

“V. Shri.P.T. Narendran”

2. The member nominated under paragraph 1 of this notification shall hold office for the remainder of the term of office of the member in whose place he is so nominated.

[F. No. 21/18/2020-Academy]

LILY PANDEYA, Jt. Secy.